बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
–:::कार्यालय आदेश:::–

का०आ०–15/बि०स०से–01–17/2024 सा०प्र०................/, पटना–15, दिनांक..........................

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश ज्ञापांक–333 दिनांक–19.07.2023 द्वारा श्री अशोक कुमार कर्ण, सेवानिवृत संविदा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को विज्ञापन के माध्यम से संविदा के आधार पर योगदान की तिथि से दो (02) वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना में नियोजित किया गया तथा सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय आदेश संख्या–405 दिनांक–01.08.2025 द्वारा अगले 01 वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए संविदा अवधि विस्तार किया गया।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–3 (2)(क)(v) में निहित प्रावधान के तहत् सेवा अवधि विस्तार के संबंध में सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त अनुशंसा पर विचारोपरांत श्री अशोक कुमार कर्ण, सेवानिवृत संविदा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की संविदा के आधार पर नियोजन अवधि को दिनांक–22.07.2026 से दिनांक–03.06.2027 (65 वर्ष की आयु पूर्ण होने) तक अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए विस्तारित की जाती है।

3. इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर इनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

4. संकल्प की कंडिका–3(6)(i) के अनुरूप इन्हें मासिक मानदेय देय होगा। कंडिका–3(6)(iv) के तहत् सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित होगा। मासिक मानदेय की यह राशि संबंधित कर्मी को संविदा अवधि में कार्यरत् रहने की स्थिति तक स्थिर रहेगी। मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग के स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

5 सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में कंडिका–3(6)(ii) के अन्तर्गत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

6. इन्हें सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त होंगी तथा इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

ह०/–
(केशव कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–15/ बि०स०से–01–17/2024 सा०प्र० 297/, पटना–15, दिनांक 02.06.26

प्रतिलिपिः–निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (समाज कल्याण विभाग), बिहार, पटना/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–22 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ श्री अशोक कुमार कर्ण, सेवानिवृत संविदा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (समाज कल्याण विभाग), बिहार, पटना एवं आई०टी० प्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

01.06.2026
सरकार के संयुक्त सचिव।